न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 306 / 2022
आरसीएमएस नं. :–2022 / 00306

1. चुनीराम } पि. डूंगरराम जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा
2. हनुमान } जिला हनुमानगढ राजस्थान। ––अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. कानाराम पुत्र कृष्णलाल जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. गणेशाराम पुत्र कृष्ण लाल जाति मेधवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4. कालूराम पुत्र मंगतूराम जाति मेधवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5. कमला पुत्री मंगतू पत्नी मनफूल जाति मेधवाल साकिन सरकारी स्कूल के पास डंगरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
6. आर एम जी बी शाखा संगर जरिये शाखा प्रबंधक
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक
8. बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. चावली पत्नी स्व0 कृष्ण लाल जाति पंचार साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. श्रीमति राणी पत्नी भीमसैन जाति पड़िहार (मेघवाल) साकिन आशा खेड़ा तहसील डबवाली।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा, दिनांक 25.08.2022 प्र. सं. 300 / 2021
अनवान कृष्णलाल बनाम कानाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–
श्री जसपाल सिंह दहिया, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री लालचंद वर्मा एवं श्री अमरदीप सिंह हुन्दल अभिभाषक रेस्पोडेण्ट
श्री मदन गोपाल मेहरड़ा अभिभाषक रेस्पेडेण्ट संख्या 2 से 5 व 10, 11
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 11.X1.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 6 एस.जी.आर. के प. नं. 11/317 में 1.8970 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम इसी चक के प. नं. 11/317 व 11/318 में कुल 7.3370 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। इसलिए चक 6 एसजीआर का पन. नं. 11/318 के किला नं. 1/0.0013 कॉर्नर व प. नं. 11/317 किला नं. 21/0.025 है0 पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसके एवज में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि अथवा डीएलसी दर की दुगना राशि अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। अतः उक्त रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए पहले से ही चालू रास्ता है, जिससे वह आवागमन करता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मु. नं. 11/2020 अनवान जगतपाल बनाम कृष्ण लाल में पारित निर्णय दिनांक 18.3.2021 से रास्ता स्वीकृत किया जा चुका है जो प्रार्थी के लिए चालू व निकटतम दूरी का सुविधाजनक रास्ता चालू है। जिससे वह आवागमन करता है, इसका इनतकाल दर्ज नहीं करवाया। प्रार्थी दूसरा रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता है। प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पीलीबंगा की मौका रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 1 के जवाब में अंकित किया है कि चाहा गया रास्ता मौका पर चालू नहीं है बिन्दू संख्या 3 में तहसीलदार पीलीबंगा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रार्था रेस्पोडेण्ट नं. 1 की सुविधा के लिए चाहा गया रास्ता के अलावा चक 6

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एसजीआर का प. नं. 10/316 मु. नं. 28 किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता रिकार्ड में दर्ज व चालू है। जिसमें प. नं. 10/316 मु. नं. 28 किला नं. 21 ता 25 में पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिसका मात्र राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं है जबकि तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा की रिपोर्ट के बिन्दू सं0 4 में वर्णित है कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट नं. 1 द्वारा चाहा गया रास्ता जो बिन्दू सं0 3 में वर्णित एवं प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट नं. 1 के लिए निकटतम रास्ता है, के अलावा यह वही रास्ता है जिसका उल्लेख अपीलाण्ट ने वर्णित किया है जो मौका पर चालू है। इसलिए रेस्पोडेण्ट ने धारा 251 का प्रार्थना–पत्र विधि विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी ने समस्त काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थना–पत्र नाकाबिल चलने के है। जगतपाल ने रास्ता स्वीकृत करने हेतु पूर्व में प्र0 सं0 11/2020 अनवान जगतपाल बनाम कृष्णलाल पेश किया जिस जिसमें अप्रार्थी सं0 1 ने इकबाल दावा पेश किया। दिनांक 18.03.2021 को प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया था। प. नं. 11/317 के किला नं. 21 में रास्ता चाहा गया है उसमें हनुमान का रिहायशी पक्का आवास मकान बना हुआ है तथा इसकारण इस किला में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि में खरीद से पूर्व से रास्ता चालू व स्वीकृत है जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा ने की है। अधीनस्थ न्यायलाय ने बिना पत्रावली पर गौर किये विधि विरूद्ध मनमाना व गलत रास्ता स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्र. सं0 6535/2019 अनवान परमेश्वरी व अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य में पातिर निर्णय दिनांक 14.11.2019 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उभयपक्षों को सुनकर समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। दिनांक 25.08.2022 को स्वीकृत किये गये रास्ते को मौका पर चालू कर दिया गया है। जहां तक पूर्व में रास्ता स्वीकृत किया गया है उसका प्रश्न है यदि उस निर्णय की पालना की जावे तो भी प्रार्थि की भूमि से उक्त रास्ता की दूरी 2.5 बीघा की लम्बाई होगी। अन्य पक्षकारों के मध्य पारित निर्णय जिसमें प्रतिकर अदायगी नहीं किये जाने के कारण निर्णय की पालना नहीं हुई का बोझ रेस्पोडेण्ट पर नहीं डाला जा सकता है। वर्तमान में स्वीकृत किया गया रास्ता लघुतम एवं धारा 251 'क' के प्रावधानों के अनुसार हैं। अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि पूर्व में एक रास्ता दिनांक 18.03.2021 को स्वीकृत किया गया था। रेस्पेडण्ट की भूमि प. नं. 11/317 के किला नं. 11/2 से 15/2, 16 ता 20 में स्थित है। रिपोर्ट में दर्ज निकटतम रास्ता प. नं. 10/316 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 की पूर्व दिशा में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के अन्य निर्णय एवं अन्य पक्षकारों में प. नं. 10/316 के कि0 नं0 21 ता 25 में एक रास्ता दिनांक 18.03.2021 को स्वीकृत किया गया था जो पालना के अभाव में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। उस निर्णय की यदि पालना भी की जावे तो प्रार्थी की भूमि से उक्त रास्ता 2.5 बीघा लम्बाई होगी जबकि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 1 बीघा की लम्बाई का है। धारा 251 'क' आरटीए में लघुतम रास्ते को दिये जाने का प्रावधान है साथ अन्य पक्षकारों के मध्य पारित निर्णय जिसमें प्रतिकर अदायगी नही किये जाने के कारण निर्णय की पालना नहीं हुई का बोझा रेस्पोडेण्ट सं0 1 पर नहीं डाला जा सकता है। गिरदावर हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि चक 6 एसजीआर के प. नं. 11/317 (30) किला नं. 21 में वर्तमान में एक ढाणी बनी हुई है जो देखने में लगभग 2 वर्ष पुरानी बनी ढाणी प्रतीत होती है। जहां तक चाहे गये रास्ते की भूमि पर निर्माण का प्रश्न है यह निर्माण प्रार्थना–पत्र पेश होने के बाद में करवाया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में रास्ता नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया है वो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.08.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.XI.22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़